न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 19 / 2026(GCMS 2026/59)

(RTI No. 212838297669419)

श्रीमती सुमन श्री रामकुमार निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जरिये श्री कृष्ण कुक्कड़

बनाम

प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रीमती सुमन की ओर से श्री कृष्ण कुककड़ उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उन्होंने अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से 05 बिन्दुओं की सूचना दिनांक 13.01.2026 को अपने ऑनलाईन आवेदन से चाही थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 30 दिन में सूचना दिये जाने का प्रावधान है, जिसकी अवधि दिनांक 12.02.2026 को समाप्त हो गयी थी। प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा ने स्पीड पोस्ट से दिनांक 18.02.2026 को राशि जमा करवाने हेतु सूचना दिये हेतु पत्र प्रेषित किया, जो अपीलार्थी को 19.02.2026 को प्राप्त हुआ। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी ने उसे नियत अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्रीमती सुमन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2026 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. दिनांक 23.02.2024 को पीएचसी बनवाली में कार्यरत परमजीत कौर एफएचडब्ल्यू द्वारा आवेदिका की पुत्री लक्षिता को डिप्थीरिया की डोज नहीं देने पर, डिप्थीरिया से निधन होने के सम्बन्ध में दिनांक 02.06.2025 को लक्षिता का निधन होने की जांच करने बाबत जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 03.06.2025 को तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करने के लिए जारी आदेश संख्या 2864-70 की सत्यापित प्रति दी जाये।
2. जिला कलक्टर द्वारा गठित जांच समिति [illegible] 23.02.2024 को पीएचसी में कार्यरत [illegible] लक्षिता के टीकाकरण के लिए गई आवेदिका 3. आवेदिका की गर्भवती देवारानी सुनीता पत्नी सुनील कुमार 4. आवेदिका के पति रामकुमार 5. आवेदिका के देवर सुनील कुमार 6. राजवीर कौर आशा सहयोगिनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता 7. निशा सोनी एएनएम पीएचसी बनवाली 8. सुनीता पत्नी राजवीर, 9. भावना पत्नी दीपक 10. सतनाम पुत्र मंगतराम के बयानों की सत्य प्रतियां दी जावे,

3. दिनांक 23.02.2024 को पीएचसी बनवाली में आयोजित टीकाकरण कैम्प में मौजूद महिलाओं व स्टाफ के खींचे गए फोटोग्राफ्स सहित जांच समिति द्वारा जिला कलक्टर को पेश जांच रिपोर्ट एंव फोटोग्राफ्स की सत्यपापित प्रतिया दी जावे।
4. जिला कलक्टर द्वारा गठित जांच समिति द्वारा पेश जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को प्रेषित आदेश संख्या 4017 दिनांक 17.06.2025 की सत्यापित प्रति दी जावे।
5. जिला कलक्टर महोदय द्वारा जारी आदेश संख्या 2025/4018 दिनांक 17.06.2025 की पालना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जांच रिपोर्ट में जिम्मेवार कार्मिक के विरूद्ध की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत प्रेषित रिपोर्ट की सत्यापित प्रति दी जावे।

प्रभारी अधिकारी (स्थापना) एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक एफ.1(23)( )स्था./2025/2024 दिनांक 04.04.2026 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2026 (प्राप्ति दिनांक 19.01.2026) से चाही गई सूचना के सम्बन्ध में अपीलार्थी को उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.01.2026 से प्रार्थी को जवाब दिया जा चुका है और प्रभारी अधिकारी (स्थापना) ने अपने पत्र क्रमांक क्रमांक एफ.1(23)( )स्था./23/751 दिनांक 28.01.206 से प्रार्थी/अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आप द्वारा जो सूचना चाही गई थी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप कार्यालय समय में जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कुल 22 पेज 2 रूपये प्रति पेज के हिसाब से कुल 44/- रूपये राजकोष में जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 19 / 2026
(GCMS No. 2026/59)
(RTI No. 212838297669419)
सुमन जरिये श्री कृष्ण कुक्कड बनाम प्रभारी अधिकारी स्थापना

प्रभारी अधिकारी (स्थापना) एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(3)(क) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> the details of further fees representing the cost of providing the information as determined by him, together with the calculations made to arrive at the amount in accordance with fee prescribed under sub-section (1), **requesting him to deposit that fees, and the period intervening between the dispatch of the said intimation and payment of fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of thirty days referred to in that sub-section;**

लोक सूचना अधिकारी यदि फोटोकॉपी आदि की शुल्क की सूचना भेजने और आवेदक द्वारा भुगतान जमा करने के बीच के समय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(3)(क) 30 दिनों की गणना से बाहर रखा जाता है। इसप्रकार लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 19.01.2026 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था और उसने दिनांक 18.02.2026 को रजिस्टर्ड डाक से राशि जमा करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय सीमा में अपीलार्थी को जवाब दिया गया हैं, जो सही है, जिसमें में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए, प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना **अपीलार्थी को सात दिवस में निःशुल्क प्रेषित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं** प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर **को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब [illegible] खिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:18 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर